श्रीयुत इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मेहतपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश द्वारा, मेहतपुर, तहसील व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश मे पेट्रोलियम उत्पादों की भंडारण क्षमता वढोतरी हेतु (LPG Bulk Storage Capacity from 900 MT to 2100 MT by installing 2X600= 1200MT of additional mounded LPG Bullets) की स्थापना के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 30, January 2018 को प्रातः 11:00 बजे Indane Bottling Plant, श्रीयुत इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, गाँव रायेपुर सहोड़ा, मेहतपुर, तहसील व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश मे पेट्रोलियम उत्पादों की भंडारण क्षमता वढोतरी हेतु (LPG Bulk Storage Capacity from 900 MT to 2100 MT by installing 2X600= 1200MT of additional mounded LPG Bullets) की स्थापना के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए.(EIA) अधिसूचना संख्या का.आ.1533(अ) दिनांक 14-09-2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला ऊना की अध्यक्षता में आयोजित की गयी | इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी व पंचायत प्रधान, व साथ लगती पंचायतो व साथ लगते गावों के निवासी उपस्थित थे | सर्व प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता ने अध्यक्ष महोदय व जनता का अभिनंदन किया व जन सुनवाई की कार्यवाही प्रकिया शुरू की | अतिरिक्त उपायुक्त ऊना ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा की इस इकाई की स्थापना के सम्बन्ध मे कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो निसंकोच पूछ सकते हैं | तत्पश्चात, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, के परामर्शदाता/प्रतिनिधि द्वारा अपनी इकाई के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत कराया गया |

इसके उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रक्रिया आरम्भ की गयी | इस जन सुनवाई की सम्पूर्ण कार्यवाही की विडिओग्राफी भी की गयी | इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गयी टिप्णियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है|

क्र.	नाम व पता	मुद्दे	उठाये गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री ओम प्रकाश उपाध्यक्ष नगर पंचायत मेहतपुर जिला ऊना		इन्होने कहा की गैस प्लांट के पिछली तरफ मंदिर है तथा गांव की खेती वाली जमीन है| उसके लिए उन्हें गैस प्लांट वनने के बाद 5-6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है| अत:मेरा सुझाव है कि रेलवे लाइन व् गैस प्लांट के वीच वाली जगह में रास्ता बना दिया जाए| उन्होंने यह भी कहा कि नगर पंचायत के क्षेत्र में कंपनी पौधे लगाये		परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि रास्ता C.S.R. में बनवा देंगे| परंतु कम्पनी को भूमि उपलब्ध करवाई जाए तथा Right of Way दिया जाए| प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि पौधे वो लगवा देंगे परन्तु पौधों की देखभाल ल नगर पंचायत को अपने स्तर पर करनी पड़ेगी	

2	श्री अश्वनी कुमार उप प्रधान ग्राम पंचायत रायेपुर सहोड़ा जिला ऊना |	इन्होने कहा की गैस की क्षमता बढाई जा रही है| इससे बाहर गाड़ियाँ खड़ी होगी| जिससे लोगों को असुविधा होगी | इसके लिए उचित प्रवंध किया जाए |	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि केवल भण्डारण क्षमता बढ़ा रहे है, उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ा रहे है| जितनी गाड़ियाँ पहले आती जाती थी उतनी ही आएँगी जाएँगी | भण्डारण क्षमता बढ़ने के साथ गाड़ियाँ जल्दी खाली होंगी तथा सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी नहीं होगी |
3	श्री रोशन लाल भूतपुर्व प्रधान ग्राम पंचायत रायेपुर सहोड़ा जिला ऊना |	इन्होने कहा की कम्पनी ने इलाके में कुछ कार्य करवाए हुए है और मै यह चाहता हूँ कि कम्पनी गांव के लिए और अधिक मदद करे| लोगों को रोजगार व् गाड़ियों के लिए प्राथमिकता दी जाए| कम्पनी अलग से अपना ट्रांसफार्मर लगाये जिससे आसपास की पंचायते जैसे चड़तगढ़, फतेहपुर और रायेपुर सहोड़ा आदि के लोगों को विजली के समस्या न हो| पिछली तरफ दीवार के साथ की झाड़ियाँ काटी जाए| जिससे लोग खेतों में आ जा सके| लोंगो का Provident Fund जमा नहीं होता है| पंचायत के विकास के लिए पच्चास पैसे प्रति सिलिंडर किया जाए | कम्पनी गांव को गोद में ले | गैस के सिलिंडर का वजन पूरा होना चाहिए| सड़क के साथ गाड़ियाँ खड़ी करने से लोगों को असुविधा होती है| इन्हे किसी निश्चित जगह पर खड़ा किया जाए |	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हम गांव के विकास के लिए सहयोग कर रहे है व् स्कूल में कंप्यूटर दिए गए हैं| पच्चीस सोलर लाइट लगा दी गई है व् तीस और लगाने जा रहे है| कम्पनी ग्राम पंचायत रायेपुर सहोड़ा व् चड़तगढ़ के साथ लगती पंचायतों के विकास के लिए प्राथमिकता से कार्य करेगी| कम्पनी का अपना अलग ट्रांसफार्मर है तथा बिजली की गुणवता के सुधार के लिए बिजली बोर्ड से बात करेंगे | गांव को गोद लेने व् अन्य सुविधाएँ भारत सरकार के नियमानुसार ही दी जाती हैं और आगे भी देते रहेंगे तथा इसके लिए स्थानीय पंचायतो को प्राथमिकता दी जाएगी | दीवार के साथ लगती झाड़ियाँ कटवा दी जाएँगी | यदि जमीन उपलब्ध करवाई जाए तो C.S.R. में रास्ता बनवा दिया जायेगा| सिलिंडरों का वजन करके लें| कर्मचारियों का Provident Fund नियमानुसार जमा करवाया जा रहा है |

अंत में वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने सभी प्रतिभागियों और स्थानीय प्रशासन का पर्यावरण सम्बन्धी जन सुनवाई में भाग लेने पर धन्यवाद किया |

अतिरिक्त उपायुक्त
Additional Deputy Commissioner
(Distt.) Una (हि. प्र.)